रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2010/आश्विन 16, 1932

No. 569] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2010/ASVINA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

सं. 49/2010-सेवाकर

सा.का.नि. 822(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 94 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियमावली, 1994 में संशोधन हेतु निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियम को सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम 2010 कहा गया है ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

2. सेवा कर नियम, 1994 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 6, उप-खंड (7ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(7ग) वितरक या बिक्री एजेंट जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (yyyyyy) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उप खंड भी कहा गया है) के तहत आने वाले कर योग्य सेवा संवर्धन, विपणन, व्यवस्थापन या किसी अन्य तरीके से लॉटरी व्यवस्थापन में सहायता के लिए सेवा कर भुगतान करने के उत्तरदायी उक्त अधिनियम के अध्याय V की धारा 66 में विनिर्दिष्ट दर पर सेवा कर अदा करने की बजाए को निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर से भुगतान करने का विकल्प होगा, बशर्ते वह सारणी के स्तंभ (3) में दी गई शर्तों को पूरा करता है ।

सारणी

क्रम सं.	रेट	शर्त
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य आयोजन द्वारा मुद्रित की समग्र पर लॉटरी टिकट के अंकित मूल्य प्रत्येक 10 लाख रुपये (या 10 लाख रुपये का अंश) ड्रॉ के लिए रुपये 6000	यदि लॉटरी या लॉटरी योजना जहां गारंटी पुरस्कार भुगतान 80 प्रतिशत से अधिक है ।
2.	राज्य आयोजन द्वारा मुद्रित की समग्र पर लॉटरी टिकट के अंकित मूल्य ड्रॉ प्रत्येक 10 लाख रुपये (या 10 लाख रुपये का अंश) के लिए रुपये 9000	यदि लॉटरी या लॉटरी योजना जहां गारंटी पुरस्कार भुगतान 80 प्रतिशत से कम है ।

बशर्ते ऑनलाइन लॉटरी के मामले में, लॉटरी टिकट के उक्त उप नियम के प्रयोजन के लिए कुल अंकित मूल्य कुल टिकटों को बेचे कुल मूल्य के रूप में लिया जाएगा और उक्त सारणी में सेवा कर में निर्दिष्ट तरीके से गणना की जाएगी ।

बशर्ते वितरक या बिक्री एजेंट वित्तीय वर्ष की शुरूआत में एक माह के भीतर इस तरह के विकल्प सेवा का प्रयोग कर सकता है, तथा उसके बाद उस विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है ।

बशर्ते वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वितरक या बिक्री एजेंट इस तरह के विकल्प का प्रयोग सरकारी राजपत्र या इस उपनियम के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर करेगा तथा नई सेवा प्रदाता के मामले में, उक्त उपखंड के तहत सेवा प्रदान करने की तिथि से विकल्प सेवा का प्रयोग कर सकता है, उसके बाद उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण.- उप-नियम के प्रयोग के लिए-

(i) "वितरक या बिक्री एजेंट" का अर्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लॉटरी नियम (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) , सा0क0नि0 278 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और वितरण या बिक्री एजेंट तथा राज्य लॉटरी के आयोजन द्वारा प्राधिकृत एजेंट भी शामिल होगा ।

(ii) "ड्रा" का अर्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लॉटरी नियम (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 2 के खंड (घ) के अनुसार होगा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) , सा0क0नि0 278 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(iii) "ऑन लाइन लॉटरी" का अर्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लॉटरी नियम (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 2 के खंड (ड.) के अनुसार होगा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) , सा0क0नि0 278 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(iv) "व्यवस्थापक राज्य" का अर्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लॉटरी नियम (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 2 के खंड (च) के अनुसार होगा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) , सा0क0नि0 278 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[फा. सं. बी-1/21/2010-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 2/94-सेवाकर, तारीख 28 जून, 1994, सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 39/2010-सेवाकर, तारीख 28 जून, 2010 सा.का.नि. 560 (अ), तारीख 28 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

No. 49/2010-Service Tax

G.S.R. 822(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, after sub-rule (7B), the following shall be inserted, namely:-

'(7C) The distributor or selling agent, liable to pay service tax for the taxable service of promotion, marketing, organising or in any other manner assisting in organising lottery, referred to in sub-clause (zzzzn) of clause (105) of section 65 of the said Act (hereinafter referred to as the said sub-clause), shall have the option to pay an amount at the rate specified in column (2) of the Table given below, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, instead of paying service tax at the rate specified in section 66 of Chapter V of the said Act:

TABLE

Sl. No.	Rate	Condition
(1)	(2)	(3)
1.	Rs 6000/- on every Rs 10 Lakh (or part of Rs 10 Lakh) of aggregate face value of lottery tickets printed by the organising State for a draw	If the lottery or lottery scheme is one where the guaranteed prize payout is more than 80%
2.	Rs 9000/- on every Rs 10 Lakh (or part of Rs 10 Lakh) of aggregate face value of lottery tickets printed by the organising State for a draw	If the lottery or lottery scheme is one where the guaranteed prize payout is less than 80%

Provided that in case of online lottery, the aggregate face value of lottery tickets for the purpose of this sub-rule shall be taken as the aggregate value of tickets sold, and service tax shall be calculated in the manner specified in the said Table.

Provided further that the distributor or selling agent shall exercise such option within a period of one month of the beginning of each financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year.

Provided also that the distributor or selling agent shall exercise such option for financial year 2010-11, within a period of one month of the publication of this sub-rule in the Official Gazette or, in

the case of new service provider, within one month of providing of service under the said sub-clause and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule-

(i) "distributor or selling agent" shall have the meaning assigned to them in clause (c) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 278(E) dated 1st April, 2010 and shall include distributor or selling agent authorised by the lottery organising State.

(ii) "draw" shall have the meaning assigned to it in clause (d) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 278(E) dated 1st April, 2010.

(iii) "online lottery" shall have the meaning assigned to it in clause (e) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 278(E) dated 1st April, 2010.

(iv) "organising state" shall have the meaning assigned to it in clause (f) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 278(E) dated 1st April, 2010.

[F. No. B-1/21/2010-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were notified vide notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.546 (E), dated the 28th June 1994 and were last amended vide notification No. 39/2010-Service Tax, dated the 28th June, 2010 which was published vide number G.S.R. 560 (E), dated the 28th June, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

सं. 50/2010-सेवाकर

सा.का.नि. 823(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, लॉटरी टिकट के विपणन में संलग्न व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'ऐसा व्यक्ति' भी कहा गया है), राज्य लॉटरी के आयोजन द्वारा अधिकृत वितरक या बिक्री एजेंट नियुक्त के सिवाय (जिसे इसमें इसके पश्चात ऐसा 'वितरक या बिक्री एजेंट' भी कहा गया है) उनके द्वारा प्रदत्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययय) में निर्दिष्ट लॉटरी के बिक्री संबद्ध करादेय सेवा को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उदग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है,

बशर्ते सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 दिनांक 8 अक्तूबर, 2010 के नियम 6के उप-नियम (7ग) के तहत वैकल्पिक संरचना योजना को ऐसे लॉटरी के संबद्धवित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे वितरक या बिक्री एजेंट द्वारा प्रयुक्त हो ।

परंतुक यदि ऐसा व्यक्ति लॉटरी टिकट का विपणन ऐसे वितरक या बिक्री एजेंट के लिए करता है, जिन्होंने उपरोक्त विकल्प को प्रयोग नहीं किया है तब ऐसे वितरण या बिक्री एजेंट जिन्होंने विकल्प का नहीं प्रयोग किया है, को प्रदत्त सेवा का मूल्य, इस अधिसूचना के तहत नहीं लागू होगा ।

स्पष्टीकरण.- "वितरक या बिक्री एजेंट" का अर्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लॉटरी नियम (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा0क0नि0 278 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और वितरण या बिक्री एजेंट तथा राज्य लॉटरी के आयोजन द्वारा प्राधिकृत एजेंट भी शामिल होगा ।

[फा. सं. बी-1/21/2010-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

No. 50/2010-Service Tax

G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts persons marketing the lottery tickets (hereinafter referred to as 'such person'), other than the distributors or selling agents appointed or authorised by the lottery organising State (hereinafter referred to as 'such distributor or selling agent'), from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act on the taxable service of marketing of lottery referred to in sub-clause (zzzzn) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, if the optional composition scheme under sub-rule (7C) of rule 6 of Service Tax (2nd Amendment) Rules, 2010 dated 8th October 2010 is availed of by such distributor or selling agent, in respect of such lottery during the financial year:

Provided that if such person also markets lottery tickets for distributors or selling agents who have not so opted, then nothing contained in this notification shall apply to the value of service provided to the distributors or selling agents who have not so opted.

Explanation.- For the purpose of this notification, "distributor or selling agent' shall have the meaning assigned to them in clause (c) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 278(E) dated 1st April, 2010 and shall include distributor or selling agent authorised by the lottery organising State.

[F. No. B-1/21/2010-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

3854 GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.